<u>NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।</u>

जे0सी0ओ0 रैक तक के भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के दो पुत्र/पुत्रियों तक रू0 25,000/– प्रति की एकमुश्त सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

<u>अर्हताऐं</u>

आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्न अर्हताऐं/अभिलेख आवश्यक हैं :–

(क) पूर्व सैनिक/विधवा का आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के नाम प्रार्थना पत्र।

(ख) पूर्व सैनिक के डिस्चार्ज बुक तथा संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति।

(ग) उपरोक्त परीक्षाओं में भूतपूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों के चयनित होने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति।

(घ) उपरोक्त से संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने संबंधी विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।

(च) कैडेट के बैंक की पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड दर्शाया गया हो।

(छ) पूर्व सैनिक के जीवित न होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

(ज) प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों/इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।